

कार्यालय

पत्रांक: न-9/स्कू0भ0मा0-D-PO-25-2022

सेवा में,

मुख्य

अग्नि

शमन

अधिकारी

देहरादून।

दिनांक: फरवरी 15, 2022

Mr. NARESH KUMAR KALA S/O LATE Mr. GITA RAM KALA  
WINHILL GLOBAL SCHOOL (NURSERY SCHOO)  
BEARING KHASRA NO-913 min MEASURING 323.75 DSQ.M.  
KHASRA NO-914 min MEASURING 323.75 SQ.M. AND  
KHASRA NO-915min MEASURING 890.30 SQ.M.  
MAUZA-CHAK TUNWALA GRANT, PARGANA-PARWADOON  
जनपद-देहरादून।

विषय

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) विषयक।

कृपया आपके द्वारा अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की बैबसाईट पर आवेदित यूनिट नम्बर 68404271 दिनांक 09.02.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा KHASRA NO-913 min MEASURING 323.75 DSQ.M., KHASRA NO-914 min MEASURING 323.75 SQ.M. AND KHASRA NO-915min MEASURING 890.30 SQ.M. MAUZA CHAK TUNWALA GRANT, PARGANA-PARWADOON, जनपद देहरादून हेतु में निर्मित प्राईमरी स्कूल भवन (WINHILL GLOBAL SCHOOL) हेतु अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गई है।


उक्त के क्रम में प्रश्नगत स्कूल भवन का निरीक्षण प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया एवं संस्तुति आख्या दिनांक 12.02.2022 को इस कार्यालय को प्रेषित की गई। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन तक अग्निशमन का वाहन पहुँच सकता है।
2. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के ऊपर से कोई हाईटेंशन लाईन नहीं गुजर रही है।
3. निरीक्षण की तिथि को भवन भूतल एवं प्रथम तल में निर्मित है।
4. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में 10 हजार लीटर क्षमता का भूमिगत पानी टैंक मय फायर पम्प (7.5 एच.पी) का प्राविधान किया गया है।
5. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के प्रत्येक तल में होजरील का प्राविधान किया गया है।
6. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में एमसीपी हूटर का प्राविधान किया गया है।
7. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया गया है, जो कार्यशील एवं सन्तोषजनक दशा में है।
8. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन की विद्युत व्यवस्था एम0सी0बी0 एवं ई0एल0सी0बी0 पर आधारित है।
9. प्रश्नगत भवन में कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन यन्त्र संचालन का ज्ञान होना आवश्यक है।
10. प्रश्नगत भवन विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर अलग से अग्निशमन विभाग से अग्निशमन व्यवस्था का कार्यशीलता प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।
11. स्वामी/प्रबन्धक को प्रश्नगत भवन के निकास मार्ग/सैट बैंक को सदैव साफ (Clear) व अवरोध रहित रखा जाए, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व भवन स्वामी का होगा। भवन के चारों तरफ छोड़े गये सैट बैंक में किसी प्रकार का अतिक्रमण, निर्माण या अस्थाई ढांचा नहीं बनाया जायेगा।

अतः उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर KHASRA NO-913 min MEASURING 323.75 DSQ.M., KHASRA NO-914 min MEASURING 323.75 SQ.M. AND KHASRA NO-915min MEASURING 890.30 SQ.M. MAUZA CHAK TUNWALA GRANT, PARGANA-PARWADOON, जनपद देहरादून हेतु में निर्मित प्राईमरी स्कूल भवन (WINHILL GLOBAL SCHOOL) हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) प्रदान किये जाने में अग्नि शमन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। वशतः शैक्षणिक भवन स्वामी/सोसाइटी/प्रधानाचार्य प्रश्नगत भवन में की गई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सदैव उच्च स्तर का बनाये रखेंगे साथ ही की अग्नि शमन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून: दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि तक के लिए वैध होगा। यदि उपरोक्त अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा। प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु प्राथमिक

-02-

अग्निशमन प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षा कर्मियों को रखें ताकि किसी आकस्मिकता के समय त्वरित अग्निशमन कार्य किया जा सके। भवन में फ़ायर सर्विस का टेलीफोन नम्बर-0135-2716242 एवं पुलिस कंट्रोल रूम का टेलीफोन नम्बर-100, 112 एवं एम्बुलेन्स का टेलीफोन नं०-108 अंकित करें। ऐसा न करने पर जारी प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

  
(आर० एस० खाती)  
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी  
देहरादून।